राजस्थान–सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.4( )पी.पी./तक–2/दिशा निर्देश/2017–18/21962-22169 दिनांक : 14/12/17

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
2. परियोजना निदेशक कृषि (वि0) सी.ए.डी कोटा
3. उप निदेशक कृषि (विस्तार) इ.गा.न.प. बीकानेर

विषय :– **राज्य योजनान्तर्गत नवनिर्मित किसान सेवा केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु क्रय किये जाने वाले सीड ड्रेसिंग ड्रम द्वारा वैज्ञानिक विधि से शत–प्रतिशत बीज उपचार कराये जाने हेतु दिशा निर्देश वर्ष 2017–18**

प्रसंग :– **आयुक्तालय के पत्र क्रमांक एफ5(4)क्र.प्र./23–ब/2017–18/1375–1590 दिनांक 19.05.2017**

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि एवं नाबार्ड के सहयोग से नवनिर्मित किसान सेवा केन्द्रों के सुदृढीकरण के दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। जिसके अनुसार किसान सेवा केन्द्रों पर सीड ड्रेसिंग ड्रम क्रय किये जाने का प्रावधान रखा गया है। फसलों में वैज्ञानिक ढंग से बीज उपचार करने हेतु सीड ड्रेसिंग ड्रम एक प्रभावी उपकरण है जिससे बीजों पर समान मात्रा में पौध संरक्षण रसायनों की कोटिंग की जा सकती है। इस उद्देश्य से नवनिर्मित किसान सेवा केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु सीड ड्रेसिंग ड्रम क्रय किये जा सकते है। अतः कृषकों द्वारा सीड ड्रेसिंग ड्रमों का उपयोग अधिकाधिक हो एवं बीज उपचार के महत्व के सम्बन्ध में कृषक जागरूक हो। इसके लिए दिशा निर्देश एवं तकनीकी स्पेशिफिकेशन संलग्न कर भिजवाये जा रहे है।

संलग्नः– दिशा निर्देश एवं तकनीकी स्पेशिफिकेशन

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांकः–एफ.4( )पी.पी./तक–2/दिशा निर्देश/2017–18/21962-22169 दिनांक : 14/12/17

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय/माननीय पंचायतीराज मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि, राज0 जयपुर ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर ।
6. समस्त जिला कलेक्टर .....।
7. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनु./एनएमओओपी/समन्वयक/उद्यान) मु. ।
8. उप सचिव, किसान आयोग, राजस्थान, जयपुर
9. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) ..... ।
10. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना/आदान/पौध संरक्षण/गु. नि./जउप्र/शस्य एटीसी/प्र. एवं मू./विस्तार/रसायन)/उप निदेशक कृषि (अभियांत्रिकी, सूचना, विस्तार, चारा विकास/सांख्यिकी) को नॉडल ऑफिसर के रूप में पर्यवेक्षण हेतु।
11. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद .....।
12. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) .....।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
14. आरक्षी पंजिका।

14.12.17
(एच.एस.मीना)
संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.)

कृषकों द्वारा उपयोग में लिए जा रहे स्वयं के बीज (Farm Saved Seed) के बीजोपचार हेतु दिशा निर्देश :

जैसा कि सर्व विदित है कि फसलों में लगने वाली दो तिहाई बीमारियां भूमि/बीज जनित होती है। भूमि/बीज जनित रोगों की सघनता, एकल खेती एवं सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। ग्रसित क्षेत्रों में भूमि/बीज जनित रोगों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए बीज उपचार प्रभावी माध्यम है। यदि फसलों में बीज उपचार कार्य नहीं किया जाता है, तो लगभग 08–10 प्रतिशत उत्पादन कम होने की संभावना रहती है। जैसे जन्म के पश्चात् शिशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण (वेक्सीनेशन) किया जाता है उसी प्रकार बीजों को भी बुवाई से पूर्व उपचारित किया जाए तो फसलों को उनमें लगने वाले कीड़े/बीमारियों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है।

फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी करने हेतु आवश्यक है कि फसलों में कीड़े/बीमारियों का प्रकोप नहीं हो अथवा प्रकोप होने की स्थिति में उनका समय पर नियंत्रण किया जावे। फसलों में कीड़े/बीमारियों का प्रकोप कम से कम हो इसलिए भारत सरकार द्वारा पिछले कई वर्षो से शत प्रतिशत बीज उपचार अभियान चलाया जा रहा है।

फसलों में वैज्ञानिक ढंग से बीज उपचार करने हेतु सीड ड्रेसिंग ड्रम एक प्रभावी उपकरण है जिससे बीज सही तरीके से उपचारित किये जा सकते हैं। बीजों पर समान मात्रा में पौध संरक्षण रसायनों की कोटिंग करने के उद्देश्य नवनिर्मित किसान सेवा केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु सीड ड्रेसिंग ड्रम क्रय किये जाने का प्रावधान रखा गया है। अतः कृषकों द्वारा सीड ड्रेसिंग ड्रमों का उपयोग अधिकाधिक करने के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

(1) उक्त कार्यक्रम के नोडल अधिकारी खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) होंगे एवं सहायक निदेशक, कृषि (पौ.सं.) खण्ड सह नोडल अधिकारी होगें।

(2) जिला स्तर पर उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं कृषि अधिकारी (पौ.सं.) सह नोडल अधिकारी होगें।

(3) प्रशिक्षणों/कृषक गोष्ठियों/फील्ड विजिट के दौरान कृषि पर्यवेक्षक वैज्ञानिक विधि से बीज उपचार करने हेतु सीड ड्रेसिंग ड्रम उपयोग करने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार करेगें।

(4) कृषक किसान सेवा केन्द्रों पर आकर बीज उपचार करेगें जिसका कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(5) ट्राईकोडरमा, फफूंदनाशी तथा बीज उपचार हेतु आवश्यक अन्य पौध संरक्षण रसायनों की व्यवस्था कृषक, कृषि पर्यवेक्षक की सिफारिश अनुसार स्वयं के स्तर से करेगें।

(6) यद्यपि विभाग का अन्ततः अंतिम उद्देश्य यही है कि यथा संभव समस्त बुवाई उपचारित बीज से ही हो फिर भी विभिन्न फसलों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर स्पेसीफिक भूमि/बीज जनित रोगों का प्रकोप पोकेट्स में होता है। अतः कृषि पर्यवेक्षक ग्राम पंचायतवार सघन क्षेत्र का चयन कर कृषकों के स्वयं के बीज (Farm saved seed) को उपचारित किये जाने हेतु प्राथमिकता से कृषकों का चयन करेंगे।

(7) बीज उपचारित फसल क्षेत्र का कन्ट्रोल प्लाट से तुलना भी की जाये।

(8) कृषि विभाग द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों एवं कृषक गोष्ठियों में बीज उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा कृषकों को उसके लाभ एवं प्रति हैक्टर लागत अथवा लागत–लाभ अनुपात के बारे में समझाया जाये। उपरोक्त कार्य हेतु साहित्य/फिल्म/स्थानीय समाचार–पत्र आदि की मदद ली जा सकती है। उपचारित एवं बिना उपचारित क्षेत्रों की वीडियो फिल्म बनाई जाये ताकि आगामी प्रशिक्षणों में काम में ली जा सके।

(09) खरीफ एवं रबी मौसम में फसलों की बुवाई से पूर्व बीज उपचार के महत्व एवं तरीके के बारे में जानकारी आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से कृषकों को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जाए।

(10) विभिन्न फसलों में थायरम/कार्बण्डाजिम/ट्राईकोडरमा तथा अन्य पौध संरक्षण रसायनों का उपयोग विभागीय सिफारिश के आधार पर बीज उपचार हेतु किया जाऐ। ट्राईकोडरमा से बीज उपचार विभागीय सिफारिश के साथ–साथ आई.सी.ए.आर. के संस्थानों/केन्द्रीय बायोलोजिकल कन्ट्रोल प्रयोगशालाओं की सिफारिशों के अनुसार भी किया जा सकता है।

(11) कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा किये जा रहे कृषकों के बीज के उपचार का रजिस्टर संधारित किया जावेगा जिसमें कृषक का नाम–पता, फसल का नाम जिसका बीज उपचारित किया है, बीज की मात्रा, उपयोग में लिए गये रसायन की मात्रा व नाम, बीज उपचार का दिनांक एवं कृषक के हस्ताक्षर एवं Farm saved seed treatment का समस्त ब्यौरा अंकित किया जावेगा। समय–समय पर कृषि पर्यवेक्षक द्वारा कराये जा रहे बीज उपचार कार्य का सत्यापन संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) खण्ड, परियोजना निदेशक (आत्मा) /उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद/सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार)/कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किया जावेगा। उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद द्वारा प्रगति आयुक्तालय की पौध संरक्षण शाखा को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावेगें।

(12) उक्त उपकरण की देख–रेख/रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक की होगी।

कृषि विभाग राजस्थान DOA

Technical Specifications for Seed Dressing Durm

1. Drum should have capacity to handle 20 Kgs. Seeds
2. Drum should be made from G.I. Sheet of minimum thickness 0.60 mm.
3. Drum dimensions : O.D. – 315 mm, Length – 610 mm
4. Shaft is made from M.S. having minimum O.D. -25 mm
5. Baffles: 2 nos. made from G.I.
6. Stand : Made from 25 x 25 x 3 mm M.S. Angle iron having minimum weight 7. 250 kgs.
7. Handle : M.S. with Plastic grip.
8. Pedestal: 2 nos. Minimum weight 0.500 kgs with suitable arrangement for lubrication.
9. Opening door : Made from G.I. Sheet with hinge and locking arrangement.
10. Bearing: good quality bearing should be provided.
11. Over all diameters should be (a) Length of the machine 760 mm (b) based width of the frame 730 mm (c) top width of the frame 200 mm (d) maximum height of the machine 1040 mm.
12. The machine should be properly painted.